भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3207
उत्तर देने की तारीख : 21.12.2023

उद्यम सखी पोर्टल

3207. श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उद्यम सखी पोर्टल से लाभान्वित होने वाली महिलाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) उद्यम सखी पोर्टल ने महिलाओं को किस प्रकार आत्म-निर्भर बनाया है;

(ग) उक्त पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को किस प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं और उक्त राज्यों में प्रत्येक सेवा से कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं;

(घ) उक्त राज्यों में उक्त पहल पर सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से संबंधित उद्यम सखी पोर्टल के माध्यम से लाभान्वित महिला लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है:

(च) उक्त पोर्टल के माध्यम से सामाजिक उद्यमों को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा है;

(छ) क्या यह सामाजिक असमानता को दूर करने में सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय बनाने और विकसित करने में सहायता करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में उद्यम सखी पोर्टल से लाभान्वित महिलाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	580
2.	तमिलनाडू	553
3.	अंडमान और निकोबार	3
कुल		**1136**

(ख) उद्यम सखी पोर्टल, महिला उद्यमियों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए विभिन्न वित्तीय स्कीमों, नीतियों और कार्यक्रमों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत सहायक संस्थानों के संबंध में सूचना प्रदान करता है।

(ग) उद्यम सखी पोर्टल महिलाओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

1. एमएसएमई मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की वित्तीय स्कीमें जैसे कि पीएमईजीपी; सीजीटीएमएसई; मुद्रा; ट्रेड्स आदि
2. एमएसएमई मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की नीतियां और कार्यक्रम।
3. व्यवसाय योजना की तैयारी के बारे में सूचना।
4. संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एमएसएमई मंत्रालय के नोडल कार्यालयों/सहायक संगठनों का ब्यौरा।
5. एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में सूचना।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में लाभार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित है:

क) महाराष्ट्र : 580

ख) तमिलनाडु : 553

ग) अंडमान और निकोबार : 3

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) के अंतर्गत एक संगठन, वैद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई) द्वारा विकसित उद्यम सखी पोर्टल के विकास के लिए 43.52 लाख रु. का व्यय किया गया है।

(ङ) उद्यम सखी पोर्टल के माध्यम से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लाभान्वित अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य श्रेणी से संबंधित महिला लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	राज्य	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज.जा.	सामान्य	कुल
1.	महाराष्ट्र	152	71	3	354	**580**
2.	तमिलनाडु	42	511	0	0	**553**

(च) और (छ) उद्यम सखी पोर्टल महिला उद्यमियों को सरकारी स्कीमों, नीतियों और कार्यकलापों पर सूचनाओं का प्रसार करने में सहायता करता है, इस प्रकार यह महिला सशक्तिकरण में सहायता करता है।

(ज) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई सहित एमएसएमई के संवर्धन और विकास हेतु विभिन्न स्कीमों नामतः कयर विकास योजना के अंतर्गत महिला कयर योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति), प्रापण और विपणन सहायता स्कीम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीएलसीएस-टीयूएस) आदि का कार्यान्वयन करता है।

*****